संख्या :4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020

प्रेषक,

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर पद्रेश शासन।

वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 07 अप्रैल 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-2021 की वित्तीय स्वीकृतियों के संबध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के बजट में प्रावधानित धनराशि के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने संबधी वित्त (आय-व्यक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 के प्रस्तर-2(9) में निर्माण कार्यो की वित्तीय स्वीकृतियाँ के संबध में व्यवस्था दी गयी है। इस संबध में निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी-

2- नये निर्माण कार्य वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत किये जायेगे तथा प्रथम किश्त की धनराशि वित्त विभाग की सहमति से अवमुक्त की जायेगी। प्रशासकीय विभाग इस बात का ध्यान रखेंगे कि कार्यदायी संस्था के पास दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो।

3- यदि निर्माण कार्य की लागत रूपये 10.00 करोड तक है, तो धनराशि दो समान किश्तों में स्वीकृत की जाये। कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह दो माह की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाय । कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय ।

4- यदि निर्माण कार्य की लागत रूपये 10.00 करोड से अधिक है, तो धनराशि चार किश्तों में अवमुक्त की जाये जिसमें प्रथम किश्त, द्वितिय, तृतीय तथा चौथी किश्त क्रमशः निर्माण लागत की 25 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 25 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत की होगीं। कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह दो माह की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाय । कार्यदायी संस्था को दूसरी किश्त पहली किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त, तीसरी किश्त, पहली किश्त की धनराशि के पूर्ण उपभोग एवं दूसरी किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त, तथा चौथी किश्त, पहली एवं दूसरी किश्त की धनराशि के पूर्ण उपभोग एवं तीसरी किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो-दो माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय ।

बकाया 5 प्रतिशत की राशि के अवमुक्त करने की कार्यवाही प्रशासकीय विभाग द्वारा परियोजना के कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने के उपरान्त की जाये।

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त

संख्या : 4/2020-बी/1-192/दस-2020-231/2020 तददिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2 महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
3 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5 वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अधिकारी / व्यय-नियंत्रण अनुभाग ।
6 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
7 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
8 निदेशक, प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ ।
9 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ / वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
11 गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
आलोक दीक्षित
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।